आवंटन (5)
अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515007890500–24

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1–जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद–चंदौली, बलिया, मथुरा व गाजीपुर।
2–जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्याः 1/शा0/88/2016–1/75/2016 लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–83 (अनुसूचित जाति सब प्लान) आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण के अन्तर्गत धनराशि रू0–600.00 लाख का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–47/2016/2340/33–3–2016–100(11)/2014 टीसी दिनांक 08 सितम्बर, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–83 आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0– 600.00 लाख के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि रू0–600.00 लाख (रूपया छः करोड़ मात्र) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08.09.2016 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8, 15, 17 में इंगित धनराशि रू0–**598.882** लाख की धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट–01) व कालम सख्या 10 में इंगित रू0–**1.118** लाख की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट–02) इस प्रकार कुल **रू0 600.00 लाख** की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1–उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

2–उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी0–1–746 /दस–2016–231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जाएगी जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग

द्वारा लेखा शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों-01-प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक "0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियों-02-प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा। शासनादेश के संलग्नक में जनपद वार फॉट के कॉलम संख्या-10 में अंकित धनराशि रू0-1.118 लाख निदेशक पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जाएगी। अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

5-उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6-उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7-आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8-सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9-शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10-आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाये। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11-जनपद स्तर पर निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए नोडल अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

12-किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13-जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

14-धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10-03-2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–146 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल कुमार दमेले)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्याः 1 / शा0 / 86 / 1 / 2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
4. विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
5. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद–चंदौली, बलिया, मथुरा व गाजीपुर।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
10. उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
11. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

cc road 83 allotment 2016-17

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-16/09/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-88-2016-1-75-2016

आवंटन आदेश संख्या:- 009-75-2016

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	11977600 11977600	11977600 11977600
2	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	17966500 17966500	17966500 17966500
3	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	13973900 13973900	13973900 13973900
4	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	15970200 15970200	15970200 15970200
	योग	वर्तमान प्रगामी	59888200 59888200	59888200 59888200

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ अठानवे लाख अठासी हजार दो सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ अठानवे लाख अठासी हजार दो सौ

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

संख्या- 47 /2016/2340/33-3-2016-100(11)/2014टीसी

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 08 सितम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सबप्लान) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/3257/2016-5/99/2016 दिनांक 05 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत 2016-17 उक्त योजना के लिए अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित रू0 600.00 लाख के सापेक्ष शत शत प्रतिशत धनराशि रू0 600.00 (रू0 छह करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा । इतर वयय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अध्ष्ठिान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रु 1.118 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर संबंधित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिव विशेष घटक योजना-05- समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-ब्रहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्यतता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10 निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) जनपद स्तर पर निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारी द्वारा गुणवत्ता एवं आवंटित धन के सापेक्ष कार्यो की स्थलीय निरीक्षण/प्रगति से प्रतिमाह शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(13) उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्र0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या–83 (एस0सी0पी0 हेतु)

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी द्वारा कार्य योजना में अनुदान संख्या 83 के अनुसार कुल मांग	योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–83 में जनपद को कुल आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण (कार्यअंश 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित)	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कॉलम संख्या 4+5 का योग	कॉलम संख्या 4 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टेन्जेन्सी हेतु 02: निदेशालय	आर0ई0ए0स0 हेतु 1.50 प्रतिशत	मण्डलीय उप निदेशक पंचायत स्तर पर 0.10 प्रतिशत	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर 0.10 प्रतिशत	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर 0.10 प्रतिशत	कॉलम संख्या 11+12+13+14 का योग	कुल योग (10+15)	सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक धनराशि (7–16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	चंदौली	8	160.00	0.00	160.00	149.00	11.00	160.00	0.298	2.235	0.149	0.149	0.149	2.682	2.980	146.02
2	बलिया	6	140.00	0.00	140.00	130.38	9.63	140.00	0.261	1.956	0.130	0.130	0.130	2.347	2.608	127.77
3	मथुरा	6	120.00	0.00	120.00	111.75	8.25	120.00	0.224	1.676	0.112	0.112	0.112	2.012	2.235	109.52
4	गाजीपुर	7	180.00	0.00	180.00	167.63	12.38	180.00	0.335	2.514	0.168	0.168	0.168	3.017	3.353	164.27
	योग	27	**600.00**	**0.00**	**600.00**	**558.75**	**41.250**	**600.00**	**1.1175**	**8.381**	**0.559**	**0.559**	**0.559**	**10.058**	**11.18**	**547.575**

नोट:– कालम संख्या–10 की धनराशि निदेशक पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या–8,15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

16/9/16

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-16/09/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-88-2016-1-75-2016

आवंटन आदेश संख्या:- 010-75-2016

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	111800 2905950	111800 2905950
	योग	वर्तमान प्रगामी	111800 2905950	111800 2905950

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक लाख ग्यारह हजार आठ सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उन्तीस लाख पाँच हजार नौ सौ पचास

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी